# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 11/27/2022 | 23–08–2022 | 11–01–2023 |

1–कासिम हुसैन पुत्र दलमीर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)
–अपीलान्ट

बनाम

1–दलमीर खॉ पुत्र स्व0 धौताली जाति मेव निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)
2–आसफ खॉ पुत्र दलमीर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)
3–सब्बीर अहमद पुत्र दलमीर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)
4–सरीपन पुत्री पुत्र दलमीर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)
5–हकिमन पुत्री दलमीर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)
6–हफिजन पुत्र दलमीर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)
7–रकिबन पुत्री पुत्री दलमीर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)
8–तहसीलदार रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)
–रेस्पौडेन्ट्स

**अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ दिनांक 09–06–2017 बाबत इन्तकाल सं0 791 वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ जिला अलवर।**

उपस्थितः–
01. श्री चौधरी सरदार खॉ –वकील अपीलान्ट्स
02. श्री जगदीश चन्द सतीजा –वकील रेस्पौ0
03. श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

## ––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 09–06–2017 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 791 वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। वकील उभय–पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बरान 811 रकबा 0.20 चाही, 812 रकबा 0.20, 813 रकबा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

0.40 चाही, 814 रकबा 0.28 चाही अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट न0 1 लगायत 7 का नाम के सामने 1/32 हिस्से के खातेदार कास्तकार जमाबंदी में दर्ज किया गया और आराजी खसरा न0 802 रकबा 0.03 गैर मुमकिन चाह में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 7 का 1/32 हिस्सा के खातेदार काश्तकार खसरा न0 809 रकबा 0.53 चाही में 19/1696 हिस्सा के खातेदार दर्ज है। जो ग्राम पूठी तहसील रामगढ में स्थित है, जिसके गत खसरा न0 778, 779, 780, 781, 754, 755 थे। जिनका कास्कार खातेदार सतनाम सिंह पुत्र जसंवत सिंह ब्राह्मण सिक्ख रामगढ था। उक्त विवादित भूमि को श्रीमति जुहरी पत्नी दलवीर खॉ निवासी किथुर ने सतनाम पुत्र जसंवत सिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी रामगढ से दिनाक 30.11.2006 को खरीद किया और बयनामा के आधार पर श्रीमति जुहरी पत्नी दलमीर खा के नाम इन्तकाल न0 170 दिनाक 23.12.2006 स्वीकार किया गया। श्रीमति जुहरी खरीदशुदा आराजी की खातेदार काश्तकार जमाबन्दी हाजा में दर्ज हो गयी वो काश्तकार रही और उसकी मृत्यु दिनाक 25.10.2016 को हो गयी। विवादित भूमि स्व0 श्रीमति जुहरी की स्वयं अर्जित सम्पति भूमि थी उसने अपनी जिन्दगी में मेहनत मशक्कत के अर्जित की वो कमाई थी उससे इस आराजी को खरीद किया जो उसकी स्वयं अर्जित सम्पति भूमि है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट जाति मेव (मुसलमान) है, वो सुन्नी शाखा में आते है व सुन्नी रूडीवादी परम्पराओ को धारण करते है। मुस्लिम स्वीधि शरीयता अधिनियम 1937 के प्रावधानो में इसी विधि के बारे में प्रावधान है कि कृषि भूमि निर्वसीयती उत्तराधिकार से अलग किया गया और हिन्दू अधिकार अधिनियम में भी स्वअर्जित सम्पति (भूमि) में भी लडकियो का कोई अधिकार नहीं है। तो राजस्थान में टीनैन्सी एक्ट 1955 की धारा में भी उसका उल्लेख है कि कृषि भूमि पर मुस्लिम स्वीयविधि (शरीयता) अधिनियम 1937 के प्रावधान यथावत रहेंगे। अलवर भरतपुर जिले जो मेवात के नाम से चर्चित है और उनकी पहचान भी अलग है, वहा पर गंगाजमनी तहजीब है और रूढिवादी प्रथा भी प्रचलित है। जिसमें मुस्लिम महिला द्वारा स्वयं अर्जित सम्पति (भूमि) में लडकियो का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पैत्रिक सम्पति (भूमि) नहीं है, क्योकि तहसीलदार ने इन सभी कानूनी प्रावधानो का उल्लधंन कर गलत तरह पर लडकियो का नाम अंकन इंतकाल में दर्ज किया है, वह गैरकानूनी है। अपील हाजा में कानून के प्रावधानों को बिन्दुओ का व रूढिवादी परम्पराओ का विवेचन होना है, इससे अपील को मियाद के बिन्दु पर ध्यान स्थान नहीं दिया जाकर बल्कि मैरिट पर अपील का फैसला किया जावें। जिससे कानून व विधि प्रावधानों पर सही तरह से निर्णय हो सके। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार का मय अपवर्जन का नियम लागू होता है, मुस्लिम विधि में जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। इस लिए रेस्पोडेन्ट न0 4 लगायत 7 अपवर्जन के सिद्वांत के आधार पर मृतक जूहरी की सम्पति के इंतकाल में जो नाम चढाया गया है, वो अपवर्जन की श्रेणी में आती है। अपीलाधीन इन्तकाल की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 14.08.2022 को तब हुई जब अपीलान्ट अपने गांव अलवर से किथुर गया, क्योकि अपीलान्ट का परिवार अलवर में रहता है। गांव में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 7 गांव में आई और रेस्पोडेन्ट न0 1 लगायत 3 ने जमीन बेचने की बात करने लगी मैने पुछा की जमीन के आप कोन हो जो बेंचोगे मैने कहा कि तहसीलदार ने जमीन हमारे नाम कर दी है। मैं अलवर आया रामगढ गया तहसील जाकर दिनाक 15.08.2022 को जानकारी की 16.08.2022 को नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया तो 17.08.2022 को नकल तैयार हुई ओर दिनाक 19.08.2022 को नकल लेकर आया दिनाक 20.08.2022 को कानूनी सलाह मशवरा कर दिनाक 21.08.2022 को रविवार होने दिनाक 22.08.2022 को पैसे की व्यवस्था कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश की जानकारी दिनाक 09.06.2017 से 14.08.2022 तक का समय जानकारी के अभाव में समायोजन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर अपील अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 09.06.2017 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील रेस्पौ0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत के द्वारा विधिवत जॉच कर नियमानुसार पक्षकारान जिस रीतिरिवाज को मानते आ रहे है, उसी आधार पर विरासत का इंतकाल दर्ज व स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि मियाद के बिन्दू पर निस्तारण न किया जाकर मैरिट पर निर्णय किया जावें। उक्त कथन कानून की मंशा के विपरीत है, ऐसा कोई भी निर्णय व नियम प्रतिपादित नहीं किया गया है, कि अपील का निस्तारण मियाद के बिन्दू पर नहीं किया जा सकता हो। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट व इनके बुजुर्गान के परिवार में रीतिरिवाज की प्रथा प्रंचलित है, जो प्रंथा हिन्दू संस्कृति के आधार पर ही आधारित है, तदानुसार ही मृतक जुहरी की विरासत का इंतकाल सही व नियमानुसार दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। पक्षकारान व उनके बुजुर्गो में यह प्रथा रही है कि जो भी परिवार में निर्वसीयत मरता है, उसके लडके लडकियो का विरासत में अधिकार बनता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 जमीन बेचने की फिराक में नही है, आलोच्य आदेश की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही रही है, क्योकि स्वयं के नाम भी मृतक जुहरी की विरासत में हक मिला है। अपीलान्ट के द्वारा आवेदन पत्र में यह उल्लेख नही किया है, न कोई प्रर्याप्त व संतोषजनक कारण बताया है कि जेर दफा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र मियाद कब से कब तक को कन्डोन किस आधार पर किया जावे। न तो कोई कारण बताया है, न ही इस संबंध में कोई अनुतोष मांगा गया है। कि अपील मियाद बाहर पेश की है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार रामगढ द्वारा विधिवत वारिसान की जॉच कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर गौर किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत के निर्णय दिनांक 09–06–2017 के विरूद्ध दिनांक 23.08.2022 को न्यायालय में पेश की है, जो करीब 5 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। उक्त अवधि असाधारण है। दफा 5 मियाद अधिनियम में देरी की अवधि को कण्डोन करने के लिए दिन–प्रतिदिन का हिसाब देना होता है। किन्तु अपीलांट द्वारा प्रा0पत्र में उक्त संबंध में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है। उक्तानुसार अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत के निर्णय दिनांक 09–06–2017 बाबत इन्तकाल सं0 791 वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ़ जिला अलवर यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ तहत रिकॉर्ड वापस भिजवाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)